

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :—कार्यालय आदेश—:

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज. विज्ञान/पीएससी 2018/2020-2021/1-27 दिनांक 01.04.2021 के द्वारा विजेन्द्र प्रसाद सिसोदिया व्याख्याता राजनीति विज्ञान का पदस्थापन राउमावि निम्बडा, रानी, फली (221440) किया गया परन्तु अभ्यर्थी श्री विजेन्द्र प्रसाद सिसोदिया पर भारतीय दण्डसंहिता की विभिन्न धाराओं में दर्ज अपराधिक प्रकरण नैतिक अधमता Moral turpitude की श्रेणी में होने से एवं विभाग स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर श्री विजेन्द्र प्रसाद सिसोदिया को व्याख्याता के पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना उचित नहीं समझकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रावि/शिकायत-जांच/पीएससी-18/2020-21 दिनांक 27.05.21 द्वारा इनकी नियुक्ति निरस्त की गई।

विजेन्द्र प्रसाद सिसोदिया व्याख्याता-राजनीति विज्ञान ने उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6969/2021 विजेन्द्र प्रसाद सिसोदिया बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के अन्तरिम निर्णय दिनांक 12.05.2021 की पालना में विभागीय आदेश दिनांक 27.05.21 को आगामी आदेश तक स्थगित रखते हुए व्याख्याता राजनीति विज्ञान का एक पद आरक्षित रखा जाता है।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा./संस्था/सी-6/रावि/शिकायत-जांच/PSC-18/2020-21 दिनांक:- 20/07/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय)।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि /संबंधित कार्मिक।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर